

राजस्थान सरकार
रामान्य प्रशासन (मुप्प-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./मुप्प-4/13

जयपुर, दिनांक 6-8-13

मुख्य अधिकारी,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नानुकूल चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 14.30 लाख (अबरे छौह लाख तीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रम सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	एफ-50, गांधीनगर	1. कारशैड 2. किंचन गेट 3. शटर 4. सेक्शन विंडो	0.23 0.05 0.06 0.08	0.42
2	एफ-54 गांधीनगर	1.मैन गेट 2.किंचन रिनोवेशन 3.गेट 4.स्टील सेक्शन विंडो	0.15 0.15 0.05 0.04	0.39
3	एफ-102, गांधीनगर	1. डोर शटर 2. चैनल गेट 3. टाइल फ्लोरिंग 4. टॉयलेट व बाथ रिनोवेशन	0.06 0.05 0.14 0.19	0.44
4	एफ-118, गांधीनगर	1. ए.सी. कारशैड 2. टॉयलेट रिनोवेशन	0.23 0.15	0.38
5	एफ-124, गांधीनगर	1. कोटा स्टोन 2. कारशैड	0.13 0.29	0.42
6	एफ-130 गांधीनगर	1.कार शेड 2.रफकोटा स्टोन 3.फाईबर शेड 4. स्टोर टाईल्स	0.23 0.07 0.07 0.07	0.44
7	एफ-142 गांधीनगर	1.कार शेड 2.सेक्शन विंडो	0.29 0.12	0.41
8	एफ-156 गांधीनगर	1.ए.सी. शेड 2.रफकोटा स्टोन 3.एम.एस.डोर 4.सेक्शन विंडो	0.19 0.21 0.04 0.04	0.48
9	एफ-179, गांधीनगर	1. मैट टाइल्स 2. किंचन रिनोवेशन 3. बाथ रिनोवेशन 4. कोटा स्टोन	0.14 0.10 0.15 0.09	0.48
10	एफ-199 गांधीनगर	1.किंचन रिनोवेशन 2.टाईलेट रिनोवेशन 3.रफकोटा स्टोन फर्श 4.सेक्शन विंडो	0.09 0.09 0.17 0.04	0.39
11	एफ-401 गांधीनगर	1.टाईलेट रिनोवेशन 2.बाथ रिनोवेशन 3.किंचन रिनोवेशन	0.15 0.15 0.09	0.39
12	एफ-442, गांधीनगर	1. ए.सी. शेड 2. एम.एस. डोर 3. सेक्शन विंडो 4. बाउण्ड्री वॉल	0.24 0.05 0.05 0.10	0.44

95

13	एफ-453, गांधीनगर	1. ए.सी. शैड	0.31	0.31
14	एफ-455 गांधीनगर	1.चारदीवारी	0.42	0.42
15	एफ-468, गांधीनगर	1. मैट टाइल्स 2. ग्राउण्ड चैनल गेट	0.40 0.05	0.45
16	एफ-479, गांधीनगर	1. कारशैड 2. टॉयलेट व बाथ रिनोवेशन	0.24 0.20	0.44
17	एफ-481, गांधीनगर	1. कोटा स्टोन 2. सीमेन्ट फर्स्ट	0.31 0.12	0.43
18	एफ-491, गांधीनगर	1. कम्पाउण्ड वॉल गेट 2. किचन रिनोवेशन 3. शीट चेंज	0.16 0.20 0.05	0.41
19	एफ-494, गांधीनगर	1. किचन रिनोवेशन 2. बाथ रिनोवेशन 3. बुडन डोर	0.20 0.20 0.04	0.44
20	एफ-496, गांधीनगर	1. ए.सी. शीट शैड 2. बाथ रिनोवेशन	0.26 0.20	0.46
21	एफ-498 गांधीनगर	1.चारदीवारी 2.ए.सी.शीट	0.16 0.28	0.44
22	एफ-500, गांधीनगर	1. स्टील गेट 2. बुडन डोर 3. कोटा स्टोन 4. कम्पाउण्ड वॉल	0.05 0.04 0.13 0.15	0.37
23	एफ-706, गांधीनगर	1. कारशैड	0.31	0.31
24	एफ-718, गांधीनगर	1. कम्पाउण्ड वॉल 2. टॉयलेट व बाथ रिनोवेशन 3. जालीडोर	0.15 0.22 0.04	0.41
25	एफ-922, गांधीनगर	1. कम्पाउण्ड वॉल गेट 2. कारशैड 3. कोटा स्टोन	0.15 0.23 0.08	0.46
26	एफ-924, गांधीनगर	1. मैट टाइल्स फ्लोरिंग 2. जालीडोर 3. कोटा स्टोन 4. बुडन डोर	0.14 0.05 0.13 0.04	0.36
27	एफ-965 गांधीनगर	1.मैट टाइलेट 2.कार शैड 3.स्टील डोर	0.21 0.21 0.03	0.45
28	एफ-968, गांधीनगर	1. मैट टाइल्स 2. बुडन डोर 3. कम्पाउण्ड वॉल गेट	0.21 0.06 0.16	0.43
29	लोला कुमारी एफ-972, गांधीनगर	1. जालीडोर 2. कोटा स्टोन शैल्क 3. बुडन डोर बदलना 4. टिनशैड	0.09 0.01 0.08 0.26	0.44
30	एफ-978, गांधीनगर	1. बाथ रिनोवेशन 2. टिनशैड रेजिंग	0.20 0.22	0.42
31	एफ-979, गांधीनगर	1. टॉयलेट व बाथ रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन	0.25 0.20	0.45
32	एफ-981, गांधीनगर	1. किचन रिनोवेशन 2. टॉयलेट व बाथ रिनोवेशन 3. स्टील जाली डोर	0.20 0.20 0.04	0.44
33	एफ-986 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.टाइलेट रिनोवेशन 3.बुडन डोर	0.20 0.20 0.04	0.44
34	एफ-989, गांधीनगर	1. बुडन जाली डोर 2. अलमारी एवं विण्डो 3. कारशैड	0.08 0.09 0.27	0.44
		कुल योग रूपये	-	14.30

(25)

यह व्यवहार बजट नम्बर 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यवहार (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी व उनके समकक्ष अन्य आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2013—14 से उपलब्ध प्रावधान में से बहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्य पर ही राशि का व्यवहार किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र मिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.—4 / 2011 दिनांक 30.12.2011 के कम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिषद्र छानक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

नवदीय

Sd
(राजीव जन)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नान्कित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृक्त जयपुर।
4. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (क)